न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 120 / 2022
GCMS CASE NO-2022/120

1 भंवरलाल पुत्र इमीलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डीओ(बी) तहसील सूरतगढ
अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजियासर स्टेशन
2. गितादेवी पत्नी जयपाल जाति कुम्हार निवासी चक 2 डीओ(बी) तहसील सूरतगढ

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई अपीलांट
2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट 01
3. श्री राजवीर भादू, रामनारायण जालप रेस्पो संख्या 02

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

–::निर्णयः:–

दिनांक : 12.08.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक चक 2 डीओ (बी) के प.न. 4 / 8 की 1.821 है0 भूमि नाजायज काश्त मानते हुए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत मालगुजारी का पचास गुणा तावान कायम कर काश्त की हुई फसल को कुर्क कर नीलाम करने का गैरकानूनी आदेश पारित किया गया है, को निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि जैर अपील आदेश की प्रार्थी को कोई सूचना नहीं थी दिनांक 1.4.2022 को हल्का पटवारी ने जैरअपील फैसले का ज्ञान कराते हुए बताया कि वो रकबा खाली करदे उनके विरूद्ध तो तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 29.9.2022 को ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट दिनांक 4.11.2022 को अदालत में गया व फैसला का पता कर 4.11.2022 को ही फैसला की नकल प्राप्त करने का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 7.11.2022 फैसला की नकल प्राप्त कर बिना कोई देरी किये आज दिनांक 8.11.2022 को अपील फैसले के ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील समय सीमा में शुमार करते हुए अपील का निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जावे।

रस्पोडेंट राज पैरोकार ने कथन किया कि अपील को दिनांक 30.8.2022 को जारी नोटिस विधिवत रूप से तामील हो चुका था नोटिस जारी होने के उपरांत भी अतिकमी द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया अतः प्रार्थी का यह कथन कि उसे आदेश की जानकारी नही थी कतई साबित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस सुनी गई चूंकि अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दओं पर ना किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। अपीलांट को चक 2 डीओ–बी के प.न. 4/8 के कि.न. 1ता3, 4/1, 6/1, 7/1, 8 ता 25 का 4.731 है0 रकबा वर्षो से अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा है व कडी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर भूमि को समतल करके काश्त करता आ रहा है। काश्त करने बाबत् सन 1998 से पूर्व को लेकर आज तक चला आ रहा है। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये ही जैर अपील आदेश अपने ही कयासो के आधार पर पारित किया गया है। जैर प्रकरण रकबा को नियमन करके राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया हुआ है। भूमि पर दिनांक 29.09.2022 द्वारा अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने व तावान किये जाने के आदेश पारित किया गया जो निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। आवंटन किये जाने के रोज से लगातार अपीलांट काश्त करता आ रहा है। बेदखली की कार्यवाही किये जाने से मुझ अपीलांट के हक एवं अधिकार प्रभावित होंगे तथा उपरोक्त रकबा को अपीलांट पुख्ता आवंटित करवाने की पात्रता रखने के बावजूद भी उक्त रकबा को अपने नाम से आवंटन करवाने से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निर्णय दिनांक 29.09.2022 को निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट भंवरलाल पुत्र इमीलाल जाति बिश्नोई द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट का यह कथन कि उसे नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं करवाया गया सरासर मिथ्या है क्योंकि दिनांक 30.8.2022 को जारी नोटिस पर स्वयं भंवरलाल के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने बहस कथन किया कि चक 2 डीओ–बी के प.न. 4/8 कि. न. 1ता3, 4/1, 9,10 की 1.505 है0 भूमि का स्मालपेच आवंटन हेतु उपजिलाधीश आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष आवेदन पेश किया हुआ है। प्रार्थी उक्त रकबे पर काबिज है अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया। अतः हम अपील अपीलांट निरस्त करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेशिका दिनांक 10.11.2022 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय दिनांक 12.08.2024 मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner